(न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर)

न्यायालय माननीय संभागायुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन

प्रकरण क्रं.   /2012 निगरानी

R-4326-I/12

11-12-12

18-12-12

बंशीलाल पिता भैरूलाल, जाति–सुतार,
उम्र–लगभग 70 वर्ष,
निवासी–ग्राम खेजड़िया तह. सीतामऊ
जिला मन्दसौर ———**आवेदक**/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1 मनोहरलाल पिता रामनारायण महाजन,
2. प्रकाश पिता रामनारायण महाजन
3. अशोक पिता रामनारायण महाजन
4. जगदीश पिता रामनारायण महाजन
5. कैलाश पिता रामनारायण महाजन
6. बसंतीलाल पिता रतनलाल महाजन
निवासीगण–ग्राम खेजड़िया तहसील सीतामऊ
जिला मन्दसौर
7. मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम खेजड़िया
तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर

———अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीतामऊ द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/अपील/11–12 मनोहरलाल विरूद्ध बंशीलाल ने पारित आदेश दिनांक 24/11/2012 जिसमें कि मनोहरलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 5 अवधि विधान का स्वीकार किया गया है से असंतुष्ट व दुखित होकर

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, प्रार्थी आवेदक द्वारा माननीय नायब तहसीलदार महोदय, तहसील सीतामऊ के यहां एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम खेजड़िया का

(5)

XX'X(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4326-एक/12 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (3) प्रशासकीय सदस्य	